कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः–2476 / FP/UK/ROAD/48741/2020 देहरादूनः दिनांकः 27 मार्च, 2021

सेवा में,

सचिव प्रभारी,
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्र नगर के अन्तर्गत संसमण–कोडियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0–58) से जोडने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हे0 का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 1.225 हे0 वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्र नगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती एवं वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। उक्त परियोजना के ऑनलाईन भरे गये पार्ट–II में अंकित की गई सूचना के अनुसार वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के 203 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

अतः प्रस्ताव के प्रपत्र भाग–I से भाग–III एवं प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–IV पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

27/3/21
(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक
कार्या0–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या / FP/UK/ROAD/48741/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती।
5. जिलाधिकारी, जनपद–टिहरी गढ़वाल।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्र नगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर।

(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक
कार्या0–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

भाग—IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः— जनपद—टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्र नगर के अन्तर्गत संसमण—कोडियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0—58) से जोडने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हे0 का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online proposal no- FP/UK/ROAD/48741/2020)

जनपद—टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्र नगर के अन्तर्गत संसमण—कोडियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0—58) से जोडने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हे0 का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में 1.225 हे0 आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद—टिहरी/ प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्र नगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती एवं वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। उक्त परियोजना के ऑनलाईन भरे गये पार्ट—II में अंकित की गई सूचना के अनुसार वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के 203 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है।

नाम व पदनामः

हस्ताक्षरः

(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक
कार्या0—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सरकारी मोहरः D. J. K. SHARMA
Principal Chief Conservator
of Forest Uttarakhand

तिथि : 27/03/2021
स्थान : देहरादून